राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2272/2015/राजसमन्द.
अपील संख्या – 2273/2015/राजसमन्द

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–राजसमन्द .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मिराज प्रोडेक्टस प्रा0 लि0,
तहसील–नाथद्वारा, राजसमन्द. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एम.एल.पाटौदी
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 20.09.2017

निर्णय

यह अपीलें राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 84 के तहत अपील संख्या 37 व 39 /वैट/राजसमंद/2014–15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में अपास्त की गई मांग राशि, जिनके विरूद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–राजसंमद (जिन्हें आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा यें अपीलें पेश की गई है उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

क्र.सं.	क.नि.वर्ष	ब्याज	आई.टी.सी	योग
1.	2010–11	3,57,125	54,52,097	58,09,222
2.	2011–12	3,62,115	50,78,138	53,40,253

इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही हैं।

राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील पर उप–राजकीय अभिभाषक के कथन सुने गये एवं अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस अपील के संबंध में बताये गये तथ्यों पर विचार किया गया एवं रेकार्ड का पूर्ण अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अध्ययन के पश्चात अपील का निस्तारण सम्पूर्ण तथ्यों के वर्णन के साथ निम्न प्रकार किया जाता है :–

1. उपरोक्त व्यवसायी का वर्ष 2010–11 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.02.2012 को वा.क.अ. वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स भीलवाडा द्वारा पारित किया गया, जिसमें सर्वेक्षण के आधार तम्बाकू प्रथम बिन्दू पर कर देय होने से आई.टी.सी को रिवर्स किया गया था एवं शास्ति भी आरोपित की गई थी।

लगातार.....2

इस आदेश में अवधि दिनांक 09.03.2011 से 31.03.2011 अर्थात् केवल 20 दिन की अवधि थी, जिसमें रुपये 54,52,097/– का आई.टी.सी रिवर्स किया गया था एवं शास्ति आरोपित की गई थी।

2. इसी तरह वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण आदेश भी दिनांक 14.02.2012 को सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था, जिसमें अवधि 01.04.2011 से 30.04.2011 थी अर्थात केवल 1 माह की अवधि थी। इसमें भी तम्बाकू प्रथम बिन्दू पर करयोग्य होने से 5078138/– की आई.टी.सी. रिवर्स की गई एवं शास्ति भी आरोपित की गई।

3. उक्त दोनों आदेश भीलवाडा के अधिकारी द्वारा किया गया, जो केवल मात्र आई.टी.सी रिवर्स कर शास्ति सहित उसकी मांग सृजित करने तक का हीं प्रकरण था।

4. उक्त दोनों ही आदेशों के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी भीलवाडा द्वारा दिनांक 12.06.2012 को अपील निर्णय कर उक्त दोनों ही आदेशों में आई.टी.सी रिवर्स करने को विधिसम्मत माना गया एवं ब्याज को भी यथावत रखा परन्तु आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया।

5. उक्तं अपीलीय आदेश दिनांक 12.06.2012 में शास्ति अपास्त किये जाने के बिन्दू पर राजस्व की ओर से माननीय राजस्थान कर बोर्ड में चुनौती दी गई थी।

6. उक्त दोनों आदेशों के पश्चात व्यवहारी के राजसंमद स्थित नियमित कर निर्धारण अधिकारी सहायक आयुक्त, राजसमन्द द्वारा वर्ष 2010–11 का पूरे वर्ष का कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2013 को एवं वर्ष 2011–12 के पूरे वर्ष का आदेश दिनांक 24.03.2014 को पारित किया गया, जिसमें पूर्व के दोनों आदेशों जो भी भीलवाड़ा के अधिकारी द्वारा किये गये थे का उल्लेख भी किया गया एवं पूर्व के आदेश दिनांक 14.02.2012 के आदेशों का हवाला भी दिया है परन्तु दिनांक 14.02.2012 में जो डिमाण्ड दोनों वर्षों में सृजित थी वो भीलवाड़ा के अधिकारी के वहां यथावत चल रही थी ओर वही डिमाण्ड की राशि पुनः राजसंमद के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरे वर्ष के आदेश में दोबारा सृजित कर दी गई।

7. इस तरह राजसंमद के अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2013 व 24.03.2014 को पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवसायी ने यह अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की कि उनके विरुद्ध एक हीं बिन्दू पर दो आदेश किये हुये है, जो विधिसम्मत नहीं है।

8. अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की व्यथा को समझकर उक्त विवादित अपीलीय आदेश दिनांक 23.06.2015 पारित किया एवं यह निर्णय दिया कि एक ही बिन्दू पर दो बार आदेश किया जाना अविधिक है परन्तु अपीलीय अधिकारी ने उक्त उपरवर्णित समस्त तथ्यों को समझे बिना एवं पूरा उल्लेख किये बिना भ्रमित करने वाला आदेश पारित किया है, जबकि उन्हें केवल यह आदेश देना चाहिये था कि दो अलग अलग कर निर्धारण अधिकारीयों के समक्ष एक ही बिन्दू पर दो आदेश न रहकर एक स्थान पर ही मांग स्थानान्तरित की जानी चाहिये या पूर्व के आदेश की केवल टिप्पणी करनी चाहिये थी न कि दोबारा अलग डिमाण्ड और सृजित करनी थी।

लगातार.....3

9. राजस्व की ओर से भी अपीलीय अधिकारी के उक्त विवादित आदेश दिनांक 23.06.2015 के विरुद्ध कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत कर दी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि राजसंमद के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरे प्रकरण को समझे बिना एवं अपने मस्तिष्क का उपयोग किये बिना अपील प्रस्तुत की गई है, क्योंकि इस प्रकरण में राजस्व द्वारा जो आई.टी.सी रिवर्स करने का आदेश दिनांक 14.02.2012 को किया था वह अपीलीय आदेश में यथावत रखा हुआ है एवं प्रथम बार अपीलीय आदेश में जो शास्ति अपास्त की थे उसके विरुद्ध राजस्व द्वारा की गई अपील कर बोर्ड में लंबित है। इस तरह दूसरे अपीलीय आदेश पर राजसंमद के कर निर्धारण अधिकारी को केवल यह समझ में लाना चाहिये था कि अपीलीय आदेश में दो बार करारोपण कर दिये जाने की त्रुटि बताई है उसको दुरस्त करने के लिये भीलवाडा के कर निर्धारण अधिकारी से सत्यापन कराना था एवं भीलवाडा में वहीं मांग सृजित होना एवं वसूली होने की जानकारी करने के पश्चात राजसंमद के अधिकारी को उस बिन्दू का उल्लेख कर उनके आदेश में केवल संशोधन करते हुए केवल यह सुधार करना चाहिये था कि सर्वेक्षण के फलस्वरुप इस बिन्दू पर डिमाण्ड भीलवाडा के अधिकारी के यहां सृजित है अतः दूसरे आदेश में उसकी दुबारा डिमाण्ड सृजित करना त्रुटि रही है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरे मामले का पटाक्षेप किया जा सकता था क्योंकि राजस्व द्वारा आरोपित मांग पूर्व के अपीलीय आदेश में पुष्टि की हुई थी एवं शास्ति के बिन्दू पर अपील लंबित थी।

10. इस तरह राजस्व की ओर से बिना प्रकरण को समझे जो अपील प्रस्तुत की गई है वह सारहीन है। इस आदेश के जरिये अपील करने की अनुशंसा एवं अनुमति लेने वाले कर निर्धारण अधिकारी को सलाह दी जाती है कि वे एक वरिष्ठ अधिकारी के रुप में प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन कर आवश्यक विधिनुसार कार्य निष्पादन करें एवं अकारण अपील प्रस्तुत न करें, जिससे राजकीय श्रम प्रबंधन की हानि न हो।

उक्तानुसार राजस्व की अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है एवं यह निर्देश दिये जाते है कि वे भीलवाडा के कर निर्धारण अधिकारी से विवादित बिन्दू पर राजस्व वसूली की जानकारी प्राप्त कर, कर निर्धारण आदेश में संशोधन करें।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य